भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2257

12 मार्च, 2025 के लिए प्रश्न

गन्ने का उचित एवं लाभकारी मूल्य

2257. सुश्री इकरा चौधरी:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रत्येक वर्ष गन्ने का उचित लाभकारी मूल्य (एफआरपी) निर्धारित करते समय किन प्रमुख कारकों पर विचार किया जाता है तथा सरकार किस प्रकार यह सुनिश्चित करती है कि एफआरपी के द्वारा उत्पादन की बढ़ती लागत, इनपुट मूल्य, मुद्रास्फीति तथा किसानों की उचित आय को पर्याप्त रूप से दर्शाया जाए;

(ख) सरकार ने किन कारणों से आगामी सत्र के लिए एफआरपी की घोषणा अभी तक नहीं की है;

(ग) इसकी घोषणा के लिए अपेक्षित समय-सीमा क्या है तथा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं कि किसानों को मूल्य निर्धारण के बारे में समय पर जानकारी प्राप्त हो;

(घ) क्या सरकार को पता है कि कई चीनी मिलें किसानों को गन्ने का एफआरपी समय पर भुगतान करने में देरी करती हैं या विफल रहती हैं तथा समय पर भुगतान को सख्ती से लागू करना सुनिश्चित किए जाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क): केंद्र सरकार, गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 के खंड 3(1) में उल्लिखित कारकों को ध्यान में रखते हुए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य (एफआरपी) निर्धारित करती है, अर्थात,

i. गन्ने के उत्पादन की लागत;

ii. वैकल्पिक फसलों से उत्पादकों को मिलने वाला लाभ तथा कृषि वस्तुओं की कीमतों का सामान्य रुझान;

iii. उपभोक्ताओं को उचित दर पर चीनी की उपलब्धता;

iv. मूल्य जिस पर चीनी उत्पादकों द्वारा गन्ने से उत्पादित चीनी बेची जाती हैं; गन्ने से चीनी की प्राप्ति;

v. उप-उत्पादों जैसे; शीरा, खोई तथा प्रेसमड की बिक्री से प्राप्त आय अथवा उनका अप्रयुक्त मूल्य;

vi. जोखिम और लाभ के कारण गन्ना उत्पादकों के लिए उचित मार्जिन।

...2/-

एफआरपी तंत्र यह सुनिश्चित करता है कि गन्ना किसानों को उचित मूल्य मिले जो उनकी उत्पादन लागत, बाजार की स्थिति, मुद्रास्फीति और इनपुट मूल्यों को प्रतिबिंबित करता हो। एफआरपी की नियमित समीक्षा और समायोजन करके, सरकार का लक्ष्य चीनी उद्योग की वित्तीय स्थिरता को संतुलित करते हुए किसानों को उचित आय प्रदान करना है। सलाहकार निकायों की भागीदारी, हितधारकों के साथ परामर्श और बाजार की स्थितियों की निगरानी यह सुनिश्चित करती है कि एफआरपी, किसानों के समक्ष आने वाली चुनौतियों और व्यापक आर्थिक संदर्भ को प्रतिबिंबित करती है।

(ख) और (ग): सरकार, चीनी उत्पादक राज्यों और विभिन्न अन्य मंत्रालयों/विभागों से टिप्पणियां और सुझाव मांगने की प्रक्रिया में है, जो गन्ने के एफआरपी को अंतिम रूप देने/संशोधित करने में परामर्शात्मक दृष्टिकोण का संकेत है। सामान्यतः सरकार आगामी चीनी मौसम से काफी समय पहले एफआरपी की घोषणा करती है और इस निर्णय की सूचना किसानों सहित सभी हितधारकों को दे दी जाती है।

(घ) और (ङ): किसानों को गन्ना बकाया का भुगतान एक सतत प्रक्रिया है और चीनी मिलों द्वारा किसानों को गन्ना भुगतान नियमित आधार पर किया जा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप गन्ना बकाया में कमी आई है।

गन्ना किसानों को बकाया भुगतान की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से, केन्द्र सरकार ने आवश्यकतानुसार समय-समय पर नीतिगत हस्तक्षेप के रूप में विभिन्न कदम उठाए हैं, जो निम्नवत हैं;

i. केन्द्र सरकार, गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 के खंड 3(1) में उल्लिखित कारकों को ध्यान में रखते हुए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य (एफआरपी) निर्धारित करती है।

ii. अधिशेष चीनी को इथेनॉल के उत्पादन में लगाने से चीनी मिलों की वित्तीय स्थिति में सुधार हुआ।

iii. सरकार ने चीनी की मिल-द्वार कीमतों में गिरावट और गन्ना मूल्य बकाया के संचय को रोकने के लिए चालू चीनी मौसम 2024-25 (अक्टूबर-सितंबर) के दौरान 10 लाख टन चीनी के निर्यात की अनुमति दी।

iv. चीनी का न्यूनतम विक्रय मूल्य प्रारंभ में दिनांक 07-06-2018 से 29 रुपये/किलोग्राम निर्धारित किया गया था और दिनांक 14-02-2019 से इसे संशोधित करके 31 रुपये/ किलोग्राम कर दिया गया।

इन उपायों के परिणामस्वरूप, गन्ना मूल्य बकाया में उल्लेखनीय कमी देखी गई है। चीनी मौसम 2023-24 तक, 99.9% से अधिक गन्ना बकाया का भुगतान किया जा चुका है और वर्तमान चीनी मौसम 2024-25 में, 05.03.2025 तक 80% से अधिक गन्ना बकाया का भुगतान किया जा चुका है।

*****